3-4-24

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर न्यायालय में विचाराधीन राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते तरमीम व मानचित्र दुरस्ती को जरिये नोट प्रेस कर राजस्व आवेदन को इसी स्तर खारीज करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने इस बाबत् आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये।

लिहाजा प्रार्थीगण अधिवक्ता के निवेदन पर राजस्व आवेदन को इसी स्तर पर नोट प्रेस करने पर खारीज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Not pressed

(मानीनामबरम
प्रार्थी स्व कि०)
दिनांक 03/04/24

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:43:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner